LL. B. 3year third sem& LL.B.5year 5th sem

विधिशास्त्र

Unit.3-

Historical school-German Historical School (Savigny) and British Historical School (Sir Henry Maine) Economic Interpretation of Law

ऐतिहासिक शाखा (Historical School)

ऐतिहासिक विचारधारा की पृष्ठभूमि

यूरोप में रोमन विधि के प्रभाव के कारण विधि अनेक विचारधाराओं को ठीक तरह से समझने में सुविधा हुई तथा तत्कालीन समस्याओं को हल करना अपेक्षाकृत सरल हो गया **।15** वीं तथा **16** वीं शताब्दी में जर्मनी में रोमन विधि को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ यहीं से विधियों के ऐतिहासिक विकास की ओर विदिशा स्त्रियों का ध्यान आकृष्ट हुआ **18** वीं शताब्दी में तर्क वाद के प्रादुर्भाव के कारण राजनीतिक व्यक्तियों को बढ़ावा मिला इसी समय अनेक विधि संहिता ओं का निर्माण हुआ जो प्राकृतिक विधि पर आधारित होने के कारण सार्वभौमिक मानी गई तत्पश्चात व्यक्तिवाद के प्रचार और प्रसार के कारण लोगों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना उभरने लगी इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग में भी नव चेतना जागृत हुई इन सब समस्याओं के समाधान हेतु विक्रेताओं ने ऐतिहासिक संकल्पना की सहायता ली इसी समय आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण इसका प्रभाव ज्ञान की अन्य शाखाओं पर पड़े बिना नहीं रह सका और इसने विधिशास्त्र को भी प्रभावित किया क्योंकि अनेक क्रांतिकारी सामाजिक विचारको ने श्रमिक वर्ग के उदार और मुक्ति का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था **।**

सैविनी**(1779-1861)**

जर्मन विधिस्त्री फ्रेड्रिच कॉल वोन सैविनी का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में सन **1779** में हुआ था उनकी शिक्षा मार वर्ग तथा गोटी गेन

विश्वविद्यालय में हुई तत्पश्चात वे लैंड सहट विश्वविद्यालय में सिविल ला के प्राध्यापक रहे तथा बाद में उन्होंने सन **1810** से **1892** तक वरलिन विश्वविद्यालय में विधि के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया **।**सन **1842** में सिवनी ने प्रशियाके विधि मंत्री के रूप में पदभार संभाला जहां से सन **1848** में सेवानिवृत्त हुए सन **1861**में बर्लिन में उनका देहावसान हो गया सैविनी द्वारा लिखित प्रमुख कृतियों में से **6** ग्रंथों में प्रकाशित उनकी **history of Roman law in Middle Ages (1815-1831),** सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ **(1840-1849)** ;लॉ ऑफ पेजेशन**(1803)** आज विशेष उल्लेखनीय है**।**

*****सेविनी के लोक चेतनता का सिद्वांत-----*****सेवनि के अनुसार विधि केवल अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं है अपितु वह किसी समुदाय विशेष या देश विशेष की व्यक्तियों की आंतरिक आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति है विधि की उत्पत्ति व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग से हुई है किसी समाज विशेष के गठन तथा

उसकी भाषा और रीति-रिवाजों को वहां की विधि से पृथक नहीं रखा जा सकता ये सभी एक दूसरे में पूर्णतः घुल मिल जाते हैं विधि की उत्पत्ति लोक चेतना पर ही आधारित है और जब तक इसे जन समर्थन प्राप्त रहता है यह प्रगति करती रहती है लेकिन लोक समर्थन समाप्त होते ही विधि का महत्व समाप्त हो जाता है किसी राष्ट्र और उसकी विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए सेवनि ने स्पष्ट किया कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ-साथ वहां की विधि भी विकसित होती रहती है जब राष्ट्र में चेतनाउत्पन्न होती है तो वहां की विधि प्रभावोत्पादक हो जाती है परंतु जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो विधि का विनाश हो जाता है सेवनि ने राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि इसका तात्पर्य उस मानव समुदाय से हैं जो सामयिक,ऐतिहासिक तथा भौगोलिक श्रृंखलाओ द्वारा एक दूसरे से सूत्रबद्ध है। सेवनि विधिको जनजीवन की सामान्य लोक चेतना का प्रतीक माना है इसलिए उनके विचारों को लोक-चेतना का सिद्धांत की संज्ञा दी गई है सेवनि का स्पष्ट मत था कि यदि विधि के स्वभाविक विकास से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है तो देश में अराजकता और अशांति फैलना और अवश्यंभाविक है जो जनता के लिए कष्ट दाई होते हैं।

1मानव समुदाय में विविध का अस्तित्व आचार्य नियमों के रूप में विद्यमान रहता है अतः विधिनिर्मित नहीं की जाती अपितु वह जन समुदाय में विद्यमान रहती है विधि का विकास शारीरिक विकास की भांति जैविक सिद्धांत पर आधारित रहता है तथा वह अपने आप होता रहता है अतः इस दृष्टिकोण से विधायन का महत्व रूढियों रीति-रिवाजों की तुलना में निम्न कोटि का है

2. विधि का विकास आदिम समुदाय में प्रचलित कुछ सहज ग्राह्य विधिक संबंधों से प्रारंभ हुआ जो कालांतर में सामाजिक प्रगति के कारण वर्तमान विधि की जटिलताओं में परिणित हो गए विधि के संबंध में जनता की धारणाओं का प्रतिनिधित्व वकील वर्ग द्वारा किया जाता है जो स्वयं भी जनता का ही एक अंश है अधिवक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई विधिक भावनाओं को विधायन द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है अतः विधि निर्माण में विधायनो के बजाय अधिवक्ताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। 3. विधि का स्वरूप सार्वभौमिक नहीं होता है और न इसे सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है विधि देश विशेष के अनुसार वहां के लोगों की भावनाओं तथा धारणाओं की अनुकूल बदलती रहती है सैवनी ने किसी राष्ट्र विशेष की भाषा तथा वहां प्रचलित विधि मे समानता स्थापित करते हुए कहा है कि एक देश की भाषा या विधि दूसरे देश के प्रति लागू नहीं की जा सकती है ।किसी देश की विधि वहां की जन समुदाय की लोक चेतना की प्रतीक होती है। 4 सेवनि के अनुसार प्राकृतिक विधि के नैतिक आदेश को विधि की शास्तिके रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता विधिके पीछे वास्तविक शास्ति सामाजिक दबाव ही है

5. विधि निर्माण के समय उस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिए अर्थात किसी विषय से संबंधित विधि का निर्माण करते समय इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भूतकाल में उस विषय पर किस प्रकार की विधि प्रचलित थी तथा कालांतर में उसमें परिवर्तन की आवश्यकता किन कारणों से हुई

6. सेवनि का निश्चित मत था की विधि स्थाई स्वरूप की नहीहोती है तथा जन भावनाओं के अनुरूप सदैव परिवर्तनशील रहती है उनके अनुसार किसी राष्ट्र की विधि राष्ट्र के विकास के साथ विकसित होती रहती है बढ़ती रहती है तथा उस राष्ट्र के विघटन के साथ समाप्त हो जाती है इसलिए सेवनि जर्मन विधि के संहिता करण के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे विधि के विकास की गति रुक जाने की संभावना ठीक उसी प्रकार की थी जिस प्रकार की किसी अवरुद्ध तालाब का पानी निकासी के अभाव में रुका रह जाता है।उनके द्वारा जर्मन विधि के संहिता करण का विरोध किए जाने का एक अन्य कारण यह भी था कि उस समय जर्मनी में लोक चेतना का पर्याप्त विकास न हुआ होने के कारण संहिता करण के परिणाम स्वरूप विधि का विकास अवरुद्ध हो जाने की संभावना थी।

लोक -चेतना के सिद्वांत की आलोचना---- अनेक विधिशास्त्रीयो ने सेवनी के लोक चेतना के सिद्धांत की आलोचना की है जो निम्न वत है

सैवनी के इस कथन का की विधि किसी समुदाय या समाज विशेष की इच्छा की अभिव्यक्त होती है का खंडन करते हुए डॉक्टर एलेन कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो रोमन विधि समस्त यूरोप में सफल नहीं हो पाती क्योंकि यह विधि यूरोपीय जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी।

सैविनी द्वारा विधि के प्रति अपनी अपनाई गई ऐतिहासिक पद्धति विधि की संकल्पना ओं का खंडन करती है तथा प्राकृतिक विधि के प्रति विरोध प्रकट करती है परंतु वास्तव में सैविनी का लोक चेतना का सिद्धांत जिसे उन्होंने वोल्कजिस्ट **(volkgeist)**कहां है स्वयं ही बाहय तथ्यों पर आधारित एक आदर्श आत्मक कल्पना है सैविनी विधि को जन समुदाय की लोक चेतना माना है परंतु वहीं दूसरी ओर उन्होंने जर्मनी के लिए रोमन विधि का समर्थन किया इन दो परस्पर विरोधी तर्कों में कोई तालमेल नहीं दिखाई देता। डीनरास्को पाउंड ने सैविनी के लोक चेतना के सिद्धांत को विधिक निराशावद निरूपित करते हुए इसे विधि की प्रगति में बाधक माना। सैविनी के लोक चेतना के सिद्धांत का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अनेक राष्ट्रों ने इसे अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त किया अत :नाजियों ने इसका उपयोग जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जबकि मार्कस वादियों ने इसे अपनी साम्यवादी आर्थिक नीति के पोषण का साधन माना इटली मे इसके कारण फासिस्ट राज्य व्यवस्था कायम हुई।

विधिशास्त्रीय चिंतन में सैविनी का योगदान --

सैविनी द्वारा प्रतिपादित लोक चेतना के सिद्धांत के फलस्वरूप ही उतरवर्ती मानव शास्त्रीय विचारकों ने विधिशास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ने में योगदान किया इहरलिच **(Ehrlich)** तथा प्रतिपादित **'sociology of Law'** की आधारशिला सैविनी के लोक चेतना का सिद्धांत ही था। यद्दपि सैविनी के जन चेतना के सिद्धांत को विधि के विकास में क्रांतिकारी पहल माना जाता है परंतु इसमें संदेह नहीं कि इसीके कारण कालांतर में समाजशास्त्री विधि विधिशास्त्र का उदय एवं विकास हुआ जिसे वर्तमान समय में प्राय :सभी प्रगतिशील देशों ने स्वीकार कर लागू किया है।

सर हेनरी मेन(**1822-1888**) इंग्लिश विधि के ऐतिहासिक विकास में सर हेनरी मेन का नाम उल्लेखनीय है सर हेनरी मैन को विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा का प्रेणता माना जाता है उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें अपने समय का सामाजिक डार्विन माना जाता है जिन्होंने मानव को सामंतवादी श्रृंखलाओं से मुक्त करा कर उसके स्वतंत्र अस्तित्व पर जोर दिया सर हेनरी मैन की कृतियों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सामाजिक तथा विधिक कार्य को एक दूसरे से पूर्णता पृथक नहीं रखा जा सकता अतः उन्होंने विभिन्न देशों की विधि प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष दिए उनके अनुसार विकासशील समाज में विधि का विकास निम्नलिखित ढंग से हो सकता है **1.**वैधानिक परिकल्पना **2.** साम्या में **3.**विधायन

1.वैधानिक परिकल्पना -- यह एक ऐसा साधन है जो नवीन नियमों को पुरातन परिस्थितियों के प्रति लागू करती है जैसे हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक पुत्र को नैसर्गिक जन्म पुत्र के समान मान्यता प्राप्त है तथा वे सभी अधिकार प्राप्त है जो सगे पुत्र को प्राप्त है।

2. साम्या-- साम्या के अंतर्गत ऐसे सिद्धांतों का समावेश है जिन्हें मानव की अंतरात्मा स्वीकार करती है । साम्या का प्रयोग इंग्लैंड के कामन लाॅ के दोषों के निवारण हेतु किया गया है **19**वीं सदी के पूर्व इंग्लैंड में प्रचलित कामन लाॅ में अनेक दोष विद्यमान थे जिनके कारण लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता था । इन दोषों के निवारण हेतु साम्या विधि के सिद्धांतों को लागू किया गया ।

3.विधायन--- वर्तमान समय में विधायन को विधि निर्माण का सर्वोत्तम तरीका माना गया है । विधायन की महत्ता को देखते हुए सभ्यता के विकास के साथ-साथ विधि के निर्माण के अन्य स्वरूप गौण होते जा रहे हैं ।

प्रगतिशील समाज का प्रस्थिति से संविदा की ओर प्रगमन **(Movement of Progressive Societies from status to Contract)** सर हेनरी मैन के अनुसार प्रारंभिक समाज में चाहे वह स्थित समाज हो या प्रगतिशील समाज , लोगों के विधिक कर्तव्य, अधिकार ,विशेषाधिकार आदि विधि के आधार पर निर्धारित किए जाते थे । परंतु सामाजिक विकास के साथ-साथ प्रस्थिति की महत्ता का लोप होने लगा तथा लोगों की वैधानिक स्थिति का निर्धारण उसके पारस्परिक समझौते के आधार पर किया जाने लगा।

'संविदा' से 'प्रस्थिति' की ओर विपर्यास (वापसी) **(Reversal from contact to Status)**

सर हेयरी मैन द्वारा कथित प्रस्थिति से संविदा की ओर **(status to contract)** की क्रिया ने अब विपरीत दिशा अपना ली है ; अर्थात आधुनिक समाज' प्रास्थिति से संविदा की ओर' न बढ़कर संविदा से प्रास्थिति की ओर बढ़ रहा है ।

उदाहरण के लिए, वर्तमान युग में लोग औद्योगिक मामलों में अपनी शर्तों के आधार पर समझौता नहीं करते वरन अब उनकी नियुक्ति वेतन, कार्य की घंटे ,पेंशन तथा अन्य भत्ते आदि का निर्धारण ट्रेड यूनियनों द्वारा समझौते के आधार पर किया जाता है ।

वर्तमान में भारत की आर्थिक और औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद का ह्रास हो गया तथा इन क्षेत्रों में राज्य के उचित हस्तक्षेप के परिणाम स्वरुप श्रमिको महिलाओं तथा कामगारों को शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुआ ।इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों, महिलाओं तथा कामगारों को सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से व्यापार संघ अधिनियम **1926**,औद्योगिक विवाद अधिनियम **1947** ,न्यूनतम मजदूरी अधिनियम **1948** ,कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम **1948** ,प्रसूति अधिनियम **1961**, समानपारिश्रमिक अधिनियम **1976** ,ग्रेजुएटी अधिनियम **1972** ,इस प्रकार संविदात्मक दायित्व प्रास्थित पर न आधारित होकर औद्योगिक और श्रमिक उद्योग द्वारा प्रशासित होता है जो इस बात का प्रमाण है कि आज भारत में भी समाज का विकास संविदा से प्रास्थिति की ओर हो रहा है ।

विधि की आर्थिक व्याख्या **(Economic Interpretation)** आर्थिक न्याय का तात्पर्य है अर्थ संबंधी न्याय । प्रकृति में पाए जाने वाले सारे संसाधन मूल रूप से अर्थ **(** धन**)** है इनके उपभोग से ही हमारा जीवन चलता है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती हर व्यक्ति अधिक से अधिक सुख चाहताहै और दुख से बचना चाहता है इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उपभोग की ये सारे संसाधन उसे हमेशा कम से कम प्रचुर मात्रा में मिलते रहे। मनुष्य प्रवृत्त है कि मूल रूप से सब लोगों के बीच विवाद और युद्ध का कारण बनती है इस प्रकार न्याय एक गंभीर युक्त या उपाय है जो मनुष्य की विवेक शीलता ,विवशता और दूरदृष्टिका परिणाम है जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के बीच अपने स्वार्थों को लेकर होने वाले टकराव को शांतिपूर्वक समाप्त करना है इस प्रकार आर्थिक न्याय संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ।इस प्रकार के न्याय पूर्ण वितरण से हर व्यक्ति को उसके उपभोग के संसाधन न्याय पूर्ण मात्रा में प्राप्त होते रहेंगे और लोगों के बीच संसाधनों पर स्वामित्व के विवाद को शांतिपूर्वक समाप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।